न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारी:— श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ़

प्रकरण संख्या 05 / 2020

दायर दिनांक: 08.10.2020

उनवान

1. कालु पिता सेवा मीणा निवासी दोलजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. नन्दू पत्नि सेवा मीणा निवासी दोलजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
3. प्रेम पुत्री सेवा मीणा निवासी दोलजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
4. भगालाल पिता सेवा मीणा निवासी दोलजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
5. रतनी पुत्री सेवा मीणा निवासी दोलजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
6. सीता पुत्री सेवा मीणा निवासी दोलजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थीगण

बनाम

शान्तिलाल पिता शोभालाल सुराना (महाजन) निवासी लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़

—अप्रार्थी

अन्तर्गत वाद पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल :— अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक: 28.10.2020

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों ने जरिये अधिवक्ता देवेन्द्र पोरवाल के दिनांक 08.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण अनुसूचित जन जाति (ST) के सदस्य है। हमारे नाम पर ग्राम दोलजीकाखेड़ा प0ह0 मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 477 / 260 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा अर्थात 1.5945 हैक्टेयर भूमि रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि की दिनांक 04.06.2020 को भू—अभिलेख निरीक्षक लाडपुरा व पटवारी हल्का मोहनपुरा द्वारा मुस्तकील मुटाम से जरीब चलाकर पत्थरगढी की गई। पत्थगढी करवाने पर उक्त वर्णित भूमि के आराजी नं. 477 / 260 की पूर्वी मेढ पर अप्रार्थी का अवैध कब्जा होने की जानकारी हुई। दक्त पत्थरगढी अप्रार्थी को उक्त अवैध कब्जा छोडने बाबत निवेदन किया गया तो अप्रार्थी ने उक्त कब्जा छोडने से इनकार कर दिया। प्रार्थीगणो ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उक्त वर्णित खातेदारी भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा प्रार्थीगणो को सपुर्द करने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थीगणों ने प्रार्थना पत्र के साथ विवादित भूमि की जमाबंदी व पत्थरगढी—मौका पर्चा की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

दिनांक 20.10.2020 को अप्रार्थी शान्तिलाल पिता शोभालाल सुराना निवासी लाडपुरा तहसील माण्डलगढ ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से अदगत करवाया कि प्रार्थीगण की विवादित भूमि की मुस्तकील मुटाम से नपती करने पर प्रार्थी की भूमि पर मेरा कब्जा पाया जाता है तो मैं स्वयं ही विवादित भूमि से कब्जा छोड दूंगा। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाद प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी व अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

तहसीलदार माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

मेनें प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जमाबंदी की नकल, पत्थगढी का मौका पर्चा, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब मे मुस्तकिल मुटाम से कमेटी द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर प्रार्थी की आराजी पर कब्जा पाये जाने पर स्वयं कब्जा छोडने व पत्थरगढी मुस्तकिल मुटाम से नही किये जाने से विवाद उत्पन्न होना स्वीकार किया है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पत्थरगढी मौका पर्चा से स्पष्ट है कि पत्थरगढी मुस्तकिल मुटाम से हुई है एवं प्रार्थी की आराजी नं. 477/260 की पूर्वी मेड पर 02 बीघा भूमि पर अप्रार्थी शान्तिलाल पिता शोभालाल सुराना निवासी लाडपुरा तहसील माण्डलगढ का कब्जा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम दोलजीकाखेडा प0ह0 मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 477/260 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा अर्थात 1.5945 हैक्टेयर भूमि की पूर्वी मेड से 02 बीघा भूमि से अप्रार्थी शान्तिलाल पिता शोभालाल सुराना निवासी लाडपुरा तहसील माण्डलगढ को बेदखल कर कब्जा प्राथीगण को संभलाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय मे प्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति मे सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक लाडपुरा को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार, माण्डलगढ़
तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner